

न्यायालय उपखण्ड अधिकाड़ी एवं पदेन सदस्यक कलक्टर सुजानाह

पीठासीन अधिकाड़ी- रतन कुमार स्वामी आर.ए.एस.

बाद पत्र- अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट व 136 एलआर एक्ट

सं.नं.

68/सं. 2019

तारीख  
हुकम

हुकम की कार्यवाही मय इनिशियलस जल

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो हुस  
हुकम की तामील  
में जारी हुए

19.08.2019

यह बाद पत्र 88 आर.टी.एक्ट व 136 एलआर एक्ट राजस्थान में राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत तहसीलदार राजस्व सुजानाह से प्राप्त हुआ। बाद पत्र की पत्रवाली मूर्तिब हुई। पत्रवाली दर्ज रजिस्टर की जावे।

प्रकरण में सक्षिप तथ्य इस प्रकार से है कि सीमिगेशन को दृष्टिगत रखते हुए प्राणी सोहनलाल ने खाला रुकस्ती बाबत बाद पत्र प्रस्तुत किया। पत्रवाली का अवलोकन किया गया।

तहसीलदार सुजानाह की अनुशंषा के आधार पर 88 आर.टी.एक्ट व 136 एलआर एक्ट के अनुसरण में ग्राम गीपालपुरा तहसील सुजानाह व जिला बूँक की जमाबन्दी सम्वत 2075-2078 में पुराना खाला संख्या 346 नया खाला संख्या 390 में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरमद के आदेश दिये जाते हैं:-

क्र. सं.	ग्राम	खाला संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है
1	गीपालपुरा	390	सोहनराम पुत्र आर्द्धदान हिस्सा- 1/6 जाति जातिह.	सोहनलाल पुत्र आर्द्धदानराम हिस्सा- 1/6 जाति जातिह.
			खालादार	खालादार

नियम की प्रति तहसीलदार राजस्व सुजानाह को भिजवाई जाये। पत्रवाली नियम में सुधार होकर हुस खाला दाखिल दफतर हो। नियम आज दिनांक 19.08.2019 को से ही धारा लिखाया जाकर बसने देजलास में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकाड़ी एवं पदेन सदस्यक कलक्टर सुजानाह

*(Handwritten signature)*